



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 102 / SEIAA/2022

Date: 9/4/22

प्रति,

मेसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर,
प्रोपराईटर श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह,
निवासी जकीरा हाउस, घुरडांक, रघुराज नगर,
जिला सतना (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 9033/2022 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, प्रोपराईटर, श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी जकीरा हाउस, घुरडांक, रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र.) मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 49/1/ख/1/1, 49/1/ख/1/2, 49/1/ख/2, रकबा 1.804 हेक्टेयर, ग्राम बेला, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण SEAC समिति द्वारा 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 में अनुशंसा को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 713 वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व दिशा में कमाश: 34, 40 एवं 120 मीटर की दूरी पर रहवासी क्षेत्र दिख रहा है एवं उत्तर में 263 मीटर पर पक्का रोड, दिखाई दे रहा है, 158 मीटर दक्षिण दिशा में शेड दिखाई दे रहा है। गूगल इमेज के अनुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र में 02 सतही नाले हैं तथा इस क्षेत्र में उत्खनन करने से प्राकृतिक नालों को क्षति पहुँचेगी। अतः समिति ने चर्चा उपरांत इस प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित न किये जाने का निर्णय लिया तथा प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु एसईआईएए को प्रेषित किये जाने बावत् अनुशंसा की है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुये पर्यावरणीय मुद्दों एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 103 /SEIAA/2022

दिनांक - 9/4/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - सतना (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - सतना (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - सतना (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

%